

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – रणछोड़ लाल, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन सं. 311/2024

अन्तर्गत धारा 111,128 आर.एल.आर.एक्ट

ईशाराराम बनाम उदाराराम व अन्य

प्रार्थी वकील – श्री मिटू खान समेजा

विप्रार्थीगण – श्री फताराम गोदारा विप्रार्थी सं. 11 से 13, 15,17 से 20, 22,25,27

--: निर्णय :-

दिनांक – 08.4.2026

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि उसकी खातेदारी का खेत मौजा जूना लखवारा में खसरा सं. 290, 330 रकबा क्रमशः 20.1371, 32.8766 हैक्टेयर, पटवार क्षेत्र आंटिया, तहसील चौहटन में स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाने का निवेदन किया है। प्रार्थी की दरखास्त दर्ज की। विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/रजि.नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी सं. 11 से 13, 15, 17 से 20, 22, 25, 27 की ओर से अधिवक्ता श्री फताराम गोदारा द्वारा वकालतनामा पेश किया। शेष विप्रार्थीगण को नोटिस जरिये रजि. डाक से भेजे हुए पर्याप्त समय बावजूद विप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विप्रार्थी सं. 11 से 13, 15, 17 से 20, 22, 25, 27 की ओर अधिवक्ता द्वारा जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के साथ-साथ विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा जूना लखवारा में खसरा संख्या 369/323 रकबा 42.7752 हैक्टेयर, पटवार हल्का आंटिया तहसील चौहटन की नेखमबन्दी की जाएं। प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण के वक्त काशत प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। साथ ही विप्रार्थीगण भी अपने खातेदारी खेत खसरा संख्या 369/323 मौजा जूना लखवारा की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। चूंकि प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। साथ ही विप्रार्थीगण भी जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश कर अपने खातेदारी खेत खसरा संख्या 369/323 मौजा जूना लखवारा की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं।

अतः प्रार्थी की दरखास्त व विप्रार्थी के जवाब मय काउन्टर क्लेम स्वीकार की जाकर विवादित भूमि मौजा जूना लखवारा में खसरा सं. 290, 330 रकबा क्रमशः 20.1371, 32.8766 हैक्टेयर, पटवार क्षेत्र आंटिया, तहसील चौहटन एवं विप्रार्थीगण खातेदारी भूमि मौजा जूना लखवारा में खसरा संख्या 369/323 रकबा 42.7752 हैक्टेयर, पटवार हल्का आंटिया तहसील चौहटन की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार चौहटन को रुपये 500/- फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि दोनों पक्षों के रूबरू विधिसम्मत तरीके से नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। कमीश्नर को कमीश्नर फीस प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2026 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फौसला शुमार होकर दाखिल दफतर हो।



(रणछोड़ लाल)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन